

# Department of School Education & Literacy Government of Jharkhand

Right of Children to Free & Compulsory Education Act 2009 Certificate of Recognition

is being awarded to

Cambridge School of District Ranchi w.e.f 22/02/2021

Sig.

District Superintendent of Education

Ranchi

Sig. Deputy Commissioner Ranchi

This certificate is online generated from https://rte.jharkhand.gov.in and does not require signature.

प्रमाण पप्र संप्रा - 2021/2014/0002

दिनांक: 22/02/2021

### स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग <u>झारखण्ड सरकार</u>

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

#### मान्यता का प्रमाण पत्र

से सम्मानित किया जा रहा है

Cambridge School, जिला Ranchi प्रभावी तिथि 22/02/2021

ह./-जिला शिक्षा अधीक्षक Ranchi ह./-उपायुक्त Ranchi

यह कंप्यूटर जनित प्रमाण पुत्र https://ric.jharkhand.gov.in से निर्गत किया गया है एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.

canned with CamScanner







# Condition of Recognition

Recognition of this School is granted under provision specified in section 18 of The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 & Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011, provided that the school will ensure that the provisions given in The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009, Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011, Department notification no. 629 dated 25.04.2019 and other directions issued from time to time by the department are strictly adhered to.

## मान्यता की शर्त

इस स्कूल की मान्यता नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत दी गई है और झारखंड नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के लिए बच्चों का अधिकार है, बशर्ते कि स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधानों में दिए गए प्रावधान नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखंड बच्चों का नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011, विभाग की अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।



